जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

'हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार'

जयपुर डिस्कॉम में 11 अक्टूबर को आयोजित होंगे 188 शिविर

जयपुर, 09 अक्टूबर। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युतीकृत आबादी क्षेत्रों में बिजली की सुविधा से वंचित आवासों को सुगम तरीके से घरेलू बिजली कनेक्शन देने के लिए 'हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार' अभियान के अन्तर्गत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत चतुर्थ एवं अंतिम चरण में रविवार 11 अक्टूबर, 2015 को 188 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरो में एक ही स्थान पर घरेलू कनेक्शन से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करवाकर सर्विस लाईन के कनेक्शन यथासंभव शिविर के दिन ही जारी किये जाएगें एवं लाईन कार्य के कनेक्शन 30 अक्टूबर तक किए जा सकेगें।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि 'हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार' अभियान में 11 अक्टूबर, 2015 को अलवर वृत में 27 शिविर, भरतपुर वृत में 13 शिविर, धौलपुर में 5, दौसा में 10 करौली में 7, जयपुर नगर वृत में 30, जयपुर जिला वृत में 25, झालावाड़ में 17, बारां में 12, बूंदी में 9, सवाईमाधोपुर में 7, कोटा में 18 एवं टोंक वृत में 8 शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

जयपुर जिला वृत में पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित होंगे 25 शिविर

जयपुर जिला वृत में रविवार 11 अक्टूबर, 2015 को पंचायत मुख्यालय गोविन्दगढ़, जाटावाली, बिचपड़ी, अनोपपुरा, बिलान्दरपुर, पीपाड़ी (चौंमू), दुर्जनियाबास, ताला, बिलोची, नेवर, जटवाड़ा, नायला, नरेना, बोबास, कांट, विराटनगर, पंचकोड़िया, रेनवाल, फुलेरा, पावटा, रामसिंहपुरा, निमेड़ा, कोटखावदा, गोनेर एवं बगरू में घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

जयपुर नगर वृत में 30 शिविरों का आयोजन सहायक अभियन्ता कार्यालयों में

जयपुर नगर वृत में 11 अक्टूबर, 2015 को 30 शिविरो का आयोजन संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय नला पावर हाउस, भांकरोटा, शास्त्री नगर, वैशाली नगर, बिन्दायका, रामबाग, चौमू हाउस, गांधी नगर, दुर्गापुरा, निर्माण नगर, इन्द्रा बाजार, रामगंज, अजमेरी गेट, खासा कोठी, जवाहर नगर, आदर्श नगर, मालवीय नगर, पुरानाघाट, श्रीजी की मोरी, हीदा की मोरी, नाहरी का नाका, आमेर, ब्रहमपुरी, मानसरोवर, सांगानेर, प्रतापनगर, जगतपुरा, विधाधर नगर, मुरलीपुरा एवं झोटवाड़ा मे किया जाऐगा।

11 अक्टूबर, 2013 से पूर्व बकाया राशि जमा नही कराने के कारण स्थाई रुप से कटे घरेलू बिजली कनेक्शनों को शिविर में एवं शिविर के बाद 31, अक्टूबर, 2015 तक बकाया राशि जमा करवा कर पुनः चालू करवाया जा सकता है एवं बकाया राशि पर देय विलम्ब शुल्क एवं ब्याज की पूरी छूट भी दी जाएगी।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 304/2015